1 (30)

COURT FEE INDIA भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES — COURT FEE INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2016 निगरानी R 4366 II-16

श्री S. P. Dhakad (Adv.) द्वारा आज दि. 29.12.16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 29-12-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

895
29-12-16

शाखा प्रभारी (रा.अं.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

1. मिश्री पुत्र सुकुआ आदिवासी निवासी मझारी तह. कोलारस जिला शिवपुरी म.प्र.
2. हरिया आदिवासी पुत्र जुझार सिंह आदिवासी ग्राम खड़ीचरा तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी

––– आवेदकगण

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी

––– अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर कलेक्टर महो. जिला शिवपुरी प्र.क. 161/स्व. निग./2013–14 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2016 की जानकारी दिनांक 18.10.2016 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य :–

(S.P. Dhakad Adv. 29.12.16)

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, भूमि सर्वे क. 206 रकवा 0.08 हे., सर्वे क. 207 रकवा 0.15 हें., सर्वे क. 209 रकवा 1.56 हें., सर्वे क. 213 रकवा 0.67 हें., भूमि का म.प्र. भू–दान यज्ञ बोर्ड द्वारा कृषि कार्य हेतु पट्टा ग्रहिता को पट्टा प्रदान किया गया था। उक्त भूमि का जर्ये रजि. विक्रय पत्र से क्रय किया है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर विधिवत नामांतरण नियमों का पालन करते हुए नामान्तरण आदेश स्वीकार किया गया। उक्त आदेश को आज दिनांक तक अपील/निगरानी में कोई चुनौती नहीं दी गई है। केवल अन्तरण संबंधी जाँच जिला स्तर पर गठित जाँच समिती द्वारा किया जाना पाया गया। उक्त भूमि के संबंध में अधीक्षक भू–अभिलेख शिवपुरी की ओर से प्रतिवेदन कार्यवाही हेतु भेंजा गया जिसके के आधार पर म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत स्वमेव निगरानी में दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई। जिसके संबंध में आवेदक को कारण बताओ नोटिस दिनांक 16.06.2008 को जारी किया गया। जिसका जबाव दिनांक 26.06.2008 को मय अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त तहसीलदार बदरवास के माध्यम से भेजा गया। आवेदक नियत दिनांक 26.06.2008 को सूचना पत्र जारी किया गया। परन्तु सूचना पत्र प्राप्त नही होने के कारण प्रकरण में अनुपस्थित हुये ओर आवेदक द्वारा प्रकरण में पट्टा/अन्तरण होने संबंधी कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया क्योकि आवेदक के पास कोई सूचना पत्र प्राप्त नही हुआ इस कारण आवेदक के

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–4366–एक / 2016 जिला–शिवपुरी

मिश्री व अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन द्वारा अपर कलेक्टर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 161 / स्व.निग. / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 16–02–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 09–09–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	